न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 405 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मेहताबसिंह पुत्र नीम्बसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।		1 कमला पत्नी निम्बसिंह 2 ओमसिंह 3 गजेसिंह 4 दलसिंह पिसरान निम्बसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री दानसिंह राठौड़, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्रसिंह, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 27/08/24

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का मौजा बाडमेर गादान पटवार बाडमेर गादान खेत खसरा संख्या 3395 / 2242 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का खसरा संख्या 2726 / 2242, 3394 / 2242, 3395 / 2242 व 3397 / 2242 आये हुए है, जो मूल खसरा संख्या 2242 के भाग थे किन्तु पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाने पर बट्टा नम्बर अंकित हो गये। वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के बीच तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके की जांच किये बिना तरमीम कर दी गई जो अशुद्ध तरमीम है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की वर्तमान राजस्व अभिलेख में अशुद्ध तरमीम के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है मौके पर कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये लाल पर प्रार्थी का व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का बरंग हरा, पीला, काला व बैंगनी अनुसार कब्जा काश्त है। भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की जाकर राजस्व रेकर्ड में विपरीत भिन्न दिशा में कर दी गई है। वर्तमान में प्रार्थी की भूमि की तरमीम परिशिष्ठ "अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अतः राजस्व अधिकारियों की भूल के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की वर्तमान तरमीम मौके पर भौतिक रूप से काबिज अनुसार नहीं होने से प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्यम तनाव की स्थिति बनी हुई है, लिहाजा मौजा बाडमेर गादान पटवार बाडमेर गादान खेत खसरा संख्या 3395 / 2242 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थी संख्या [illegible] के खसरा संख्या 2726 / 2242, 3394 / 2242, 3395 / 2242 व 3397 / 2242 [illegible] तरमीम निरस्त करते हुए सलंग्न नक्शा अनुसार परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार [illegible] करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] जरिये नोटिस तलब [illegible]या।

वकील अप्रार्थीगण उपस्थित।

वकील अप्रार्थीगण ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का मौजा बाडमेर गादान पटवार बाडमेर गादान खेत

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:25:51 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 3395/2242 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का खसरा संख्या 2726/2242, 3394/2242, 3395/2242 व 3397/2242 आये हुए है, जो मूल खसरा संख्या 2242 के भाग थे किन्तु पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाने पर बट्टा नम्बर अंकित हो गये। भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की जाकर राजस्व रेकर्ड में विपरीत भिन्न दिशा में कर दी गई है। वर्तमान में प्रार्थी की भूमि की तरमीम परिशिष्ट "अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लिहाजा मौजा बाडमेर गादान पटवार बाडमेर गादान खेत खसरा संख्या 3395/2242 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खसरा संख्या 2726/2242, 3394/2242, 3395/2242 व 3397/2242 की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए सलंग्न नक्शा अनुसार परिशिष्ट "अ" के अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079, नक्शा तथा परिशिष्ट 'अ' का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की वर्तमान तरमीम अशुद्ध है जिसे उभय पक्षों ने स्वीकार किया है। उभय पक्षों की सहमति व प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा बाडमेर गादान पटवार बाडमेर गादान खेत खसरा संख्या 3395/2242, 2726/2242, 3394/2242, 3395/2242 व 3397/2242 की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान पटवार बाडमेर गादान खेत खसरा संख्या 3395/2242, 2726/2242, 3394/2242, 3395/2242 व 3397/2242 भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "अ" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:25:51 IST
Reason: SelfAttested

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक .....2/6/25..... को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर